बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्त्तमान में संचालित इन्टर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर अकादमी सत्र 01.04.2024 से पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 के तहत देश में 10+2+3 शिक्षण व्यवस्था का नीतिमूलक निर्णय है। वर्त्तमान में राज्य मे (+2) स्तर की पढ़ाई विद्यालयों, महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालयों में दी जा रही है। विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित है कि महाविद्यालयों से इन्टर की शिक्षा को अलग किया जायेगा। उक्त प्रावधान के तहत (+2) विद्यालयों एवं राजकीय/ राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा अन्य प्रासंगिक विषयों के लिए (+2) स्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने एवं महाविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालयों में दी जा रही (+2) स्तर की पढ़ाई को अलग करने की आवश्यकता है।

2. वर्ष 2006 में पटना विश्वविद्यालय में अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों से इन्टर स्तर की शिक्षा समाप्ति के उपरांत अन्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय से (+2) स्तर की शिक्षा को अलग किया जाना था, ताकि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (+2) स्तर की शिक्षा दी जा सके। परन्तु उस समय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी एवं पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के अभाव में पटना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से (+2) स्तर की शिक्षा की समाप्ति नहीं हो सकी।

3. राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना का बड़े पैमाने पर निर्माण कराया गया है एवं निर्माण कार्य

चल रहा है। साथ ही विशेष अभियान चला कर 67,961 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 65,737 माध्यमिक शिक्षक का नियोजन/नियुक्ति की गयी है। वर्त्तमान में आधारभूत संरचना एवं विषय विशेष के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य में अवस्थित केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (+2) स्तर की शिक्षा का संचालन किया जाए।

4. राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्त्तमान में संचालित इन्टर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

6. उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21.2.24

(संजय कुमार)
अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०-11-09/2024-587 पटना, दिनांक 21/02/2024

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

21.2.24

अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।